82

नि/निगा०/रीवा/भू रा०/2017/4773

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

कैम्प रीवा

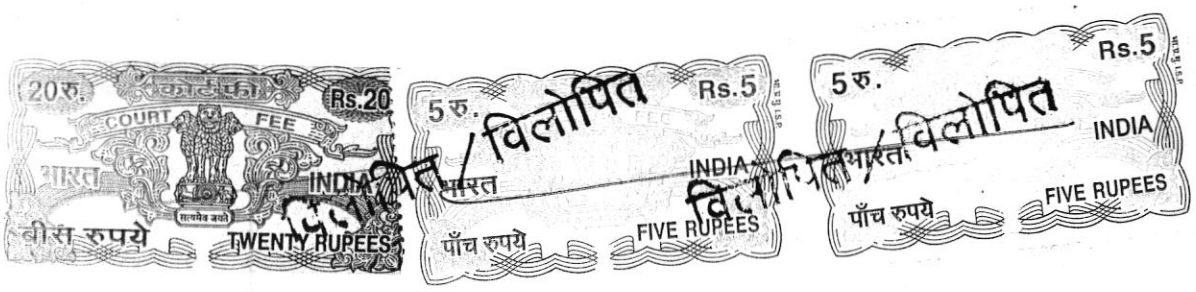

Rs. 30/-

1. श्रीकान्त रमाकान्त शंखवती पिता केमला निवासी ग्राम–कनौजा तहसील–हुजूर, जिला–**रीवा** (म0 प्र0)

———आवेदकगण

बनाम

2. श्याम किशोर बृज किशोर पिता कमल किशोर निवासी ग्राम रकरिया हाल मुकाम नेहरू नगर बरा रीवा कमल मेडिकल स्टोर सिरमौर चौराहा रीवा जिला – **रीवा** (म0 प्र0)

———अनावेदकगण

आवेदक श्रीकांत द्वारा पेश किया गया। 30-11-17

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त गोविन्दगढ़ जिला रीवा (म0 प्र0) द्वारा नामान्तरण पंजी क0 1 ग्राम कनौजी ज0 नं0 67 आराजी नं0 59 रकवा 1.133 हे0 यानी 2.80 एकड़ के 0.567 हे0 के नामान्तरण आदेश दिनांक 19.11.2009. एवं बटांक 59/2 के बटवारा तथा नक्शा तरमीम फीडिंग को निरस्त किये जाने बावत मुताबिक धारा 50 भू0 रा0 सं0 1959 के अन्तर्गत।

महोदय,

निगरानी का आधार निम्नानुसार है –

1. यह कि निगरानी विधि एवं प्रकिया के अनुकूल है।
2. यह कि आराजी नं0 59 रकवा 1.133 हे0 यानी 2.80 एकड़ स्थित ग्राम कनोजी नं0 67 तहसील हुजूर जिला रीवा के भूमि स्वामी अधिपत्यधारी व स्वत्व शंखवती, श्रीकान्त, रमाकान्त पिता केमला प्रसाद निवासी ग्राम कनौजा की पैतृक भूमि है जरिये वारिसाना नामान्तरण सहभूमिस्वामी के नाम रिकार्ड में अंकित दर्ज एवं कब्जे में है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी दो/निग./रीवा/भू.रा./17/4773

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्रीकांत उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार वृत्त गोविन्दगढ जिला रीवा के पंजी क्रमांक 1 आदेश दिनांक 19.11.2009 के विरूध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा 5 का आवेदन पत्र में शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। , 2– आवेदक द्वारा प्रकरण के ग्राह्यता पर तर्क सुने एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा धारा 5 के आवेदन में लेख किया है कि आवेदक हलका पटवारी के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनबाने के लिए नक्शा खसरा व भूमि स्वामित्व घोषणा पत्र बनवाने पर इसकी जानकारी हुई। 3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर म्याद अधिनियम 5 का आवेदन अवलोकन किया उसमें दर्शाये तथ्यों का परिशीलन किया इससे स्पष्ट है कि जो आवेदक द्वारा तथ्य बताये गये हैं वह समाधानकारक नहीं होने के कारण धारा 5 का आवेदन विलंब क्षमा योग्य नहीं है। 4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर धारा 5 का आवेदन क्षमा योग्य एवं समाधानकारक नहीं होने के कारण प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। सदस्य	